न्यायालय, सिविल जज सि0डि0, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत इजराय वाद–08 / 2025

मिथलेश कुमार.....जयपत्रधारी

बनाम

उमाशंकर राय वगैरह.....निर्णीत ऋणी

आदेश

18.07.2026 वाद पुकारा गया। पुकार पर वादी की ओर से वाद वापसी हेतु आवेदन दिनांक–20.06.2026को दाखिल कर निवेदन किया गया है कि उपरोक्त वाद जयपत्रधारी की ओर से दखल–देहानी हेतु लाया गया था। निर्णीत ऋणी के द्वारा विवादित भूमि का प्रार्थी जयपत्रधारी को दखल–कब्जा सौंप दिया, इसलिए प्रार्थी जयपत्रधारी अब वाद को लागे चलाना नहीं चाहते हैं तथा वाद को वापस लेना चाहते हैं। आवेदन सत्यापित एवं शपथ–पत्र से सम्पुष्ट है। अतः निवेदन है कि आवेदन को स्वीकृत करते हुए प्रस्तुत वाद को वापस करने की कृपा की जाए।

अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि वर्तमान वाद प्रारम्भिक अवस्था में है, जिसके पश्चात् जयपत्रधारी एक आवेदन दाखिल कर हकियत इजराय वाद को वापस लेने की प्रार्थना इस आशय का किया है कि निणीत ऋणी द्वारा जयपत्रधारी को दखल–कब्जा सौंप दिया गया है, इसलिए प्रार्थी वाद को वापसी के आधार पर निस्तारण करने का निवेदन करते हैं। अतः न्यायालय को यह स्पष्ट समाधान हो जाता है कि जयपत्रधारी को, चूँकि उनको दखल–कब्जा प्राप्त हो चुका है और अब इसीलिए जयपत्रधारी को यह वाद आगे चलाने में कोई अभिरुचि शेष नहीं रह गई है। अतः हकियत इजराय वाद वापसी हेतु उचित आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार वादी द्वारा दाखिल वर्तमान हकियत इजराय वाद को **वापसी के आधार पर खारिज** किया जाता है।

सिविल जज सि0डि0,
व्यवहार न्यायालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।
दिनांक–18.07.2026